"That the Bill to provide for the constitution of a welfare fund for the benefit of advocates and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 38, Schedule I and Schedule II were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION

Failure of Public Distribution System and Need for Revamping it

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Short Duration Discussion on the failure of the Publication Distribution System and need for revamping it. In fact, we were to start it at four o'clock. The time allotted for this purpose is two hours and thirty minutes. Shri Suresh Pachouri to start it.

श्री सुरेश पचौरीः उपसभापति महोदया, जिस देश में लगभग तीस प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हों वहां निश्चित रूप से सार्वजनिक वितारण प्रणाली को मजबूत बनाने के बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है जो गरीब और मजदूर लोगों को बढ़ती हुई महंगाई और मुनाफाखोरी से मुक्ति दिला सकती है। आम आदमी के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का बाजार में जो कृत्रिम अभाव होता है और कीमतों में जो बेतहाशा वृद्धि होती है उस पर अंकुश लगने का काम भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किया जा सकता है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु)पीठासीन हुए]

मान्यवर करोड़ों टन अनाज हमारे देश में उपलब्ध हैं लेकिन उसे रखने की हमारे यहां जगह नहीं हैं । लगभग करोड़ लोग आए दिन भूख की चपेट में आते रहते हैं। उन्हें इंडियन मेडिकल कौंसिल की रिसर्च ब्रांच के हिसाब से जितना खाद्यान्न मिलना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं हो पाता। एक तरफ तो हमारे देश की यह तस्वीर है और दूसरी तरफ हमारे देश कि केंद्रीय सरकार है उसकी सार्वजनिक वितरण प्ररणाली है। इसमें जो भी दावे किए हैं वे सारे के सारे खोखले साबित होते जा रहे हैं इसलिए आवश्यकता हैं कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

मूल्य में जो दोष व्याप्त हैं उन्हें दूर किए जाने पर विचार किया जाए ताकि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ गरीब वर्ग को पहुंच सकें जिसके हितों को दृष्टिगत रखते हुए यह सिस्टम ईजाद किया गया है वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने 2000-2001 का बजट बनाते हुए बहुत सी घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि आयकर दाता और उसके परिवार को चीनी उपलब्ध नहीं कराई जाए। इसका परिणाम यह हुआ है कि 7.65 करोड़ व्यक्तियों को चीनी के लाभ से वंचित कर दिया गया। मैं इस विषय पर नहीं आना चाहता लेकिन आए दिन इस सरकार में मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति को लेकर जो आपा-धोपी होती रहती है उसका जिक्र करना चाहता हूं। इस प्रणाली के बारे में इस देश के वित्त मंत्री की कुछ और सोच है और केंद्रीय खाद्य और वितरण मंत्री श्री शांता कुमार जी की कुछ और सोच है । क्योकि यह परस्पर एक दूसरे विरोधी की सोच है जो तो इसका परिणाम यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जिस गरीब वर्ग को पहुंचना चाहिए उस वर्ग तक नहीं पहुंच रहा है स्थिति यह है कि नॉर्थ-ईस्ट में जहां चावल को भेजा जाना चाहिए वहां चावल नहीं भेजा जाता है, गेहूं भेजा जाता है और चूंकि गेहूं का वहां के लोग उपयोग नहीं करते हैं तो परिस्थिति यह उत्पन्न होती है कि उस गेहूं को फिर से दिल्ली में बेचा जाता है फिर यह कहा जाता है कि वह राज्य उठा नहीं रहा है । उस राज्य के लिए जो खाद्यान्न आवंटित है वह दिल्ली में बेचा जा रहा है वह जो नीतिगत निर्णय हैं इनमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कुछ खामियां हैं खुद शांता कुमार जी के राज्य हिमाचल प्रदेश में गरीबों के लिए 3.5000 टन अनाज में से सिर्फ 3800 टन ही उठाया गया है यह जो स्थिति है वह टेक ऑफ की स्थिति है । अब प्रश्न उठता है कि यह कमी क्यों है इसके लिए दोषी कौन है? फूड कारपोरेशन का आफ-टेक जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अन्तर्ग उसमें लगातार कमी आती जा रही है इस कमी का परिणाम यह है कि लगभग 37 परसेंट कमी इस वर्ष के करेंट क्वार्टर में आ गई है। इसके लिए दोषी कौन है? गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वह वर्ष अप्रैल से हटा ली गई है । यह जो व्हीट का टेक-आफ है, सूगर का आफ टेक है जो बिलो पावर्टी लाइन के लिए है इसमें लगातार कमी आती जा रही है जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर भी हमको विचार करना चाहिए।

मान्यवर, हमारे देश में राशन की लगभग 45 लाख दुकानें है । 45 लाख दुकानें से यह उम्मीद की जाती है कि वे इस देश में रहने वाले हैं लगभग 29 करोड़ परिवारजनों को, सामान्य उपभोक्ताओं को वे वस्तुयें दें जो उनके रोज के उपयोग में आने वाली वस्तुयें हैं। उनको वे ये उपलब्ध करायें। लेकिन स्थिति क्या है ? स्थिति यह है कि उन वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है इसका कारण यह है कि केंद्रीय सरकार अलग अलग स्वर में बात कर रही है। घोषणायें तो वह बहुत कर रही है लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। देश का जो बड़ा भूभाग है उसमें फूड कारपोरेशन आफ इंड़िया के जो अनाज के भंड़ार हैं उनमें जो अनाज संग्रह किया गया है एक तरफ तो वह अनाज सड-गल रहा है और दूसरी तरफ लोग भूख के शिकार हो रहे हैं । अगर राजनैतिक लोग किसी मामले में बात करे तो उसको राजनैतिक दृष्टि से देखा जाएगा यह उस को राजनैतिक माना जाएगा । लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आबजर्वेशन किया है वह चौकाने वाला है उसको मैं यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि देश में भूख और कपोषण से हो रही है मौतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि इसका असर खासतौर पर 6 राज्यों में पड़ा है और इस सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की भूख की वजह से मौत न हो अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का प्राथमिक

कर्तव्य भूखों अनाज देना है उसे यह देखना होगा कि एफ.सी.आई गोदामों में पड़ा अनाज सड़ने के बाद समुद्र फेंका जाए, चूहों को खिलाया जाए या जरूरतमंदों को दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह व्यवस्था दिया जाना अपने आप में बहुत चौकानें वाली बात है । यह व्यवस्था किसी एक माननीय जज ने नहीं दी है बल्कि यह व्यवस्था तीन जजों की जो बेंच है उसके द्वारा दी गई है । मान्यवर, एक बात और, इस सरकार के जो महाधियक्ता सोली सौराबजी हैं । उन्होंने भी स्थिति को भयावक मानते हुए और इस चीज को स्वीकार करते हुए यह कहा है कि वयवस्था में कहीं न कहीं किसी बुनियादी गड़बडी के संकेत मिलते हैं और इस दिशा में अंतरिम निर्देशों का ब्योरा जल्द देने के बारे में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही इस विषय में सरकार का पक्ष रखेंगे कि आखिर आज यह स्थिति क्यों निर्मित हुई । इस विषय में जो पी.आई. एल. दाखिल की गई है उसकी सुनवाई 3 सितम्बर के लिए नियत की गई है । निश्चित रुप स यह भयानक आवाजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है ।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि एक तरफ जहां सोली सोराब जी ने इन विसंगतियों को स्वीकार किया वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का यह आबजर्वेशन है और तीसरी तरफ भारत की स्थिति की तस्वीर, जिसका मैंने जिक्र किया कि एक तरफ तो करोड़ों टन अनाज पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वह अनाज गोदामों में सड़ रहा है और तीसरी तरफ 6-7 राज्यों में सूखे की स्थिति है और वहां पर लोगों की मौत हो रही हैं यह एक गंभीर विषय है । इसलिए इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यक्ता है ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था । माननीय मंत्री जी ने घटिया राशन की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार बना दिया । वे घटिया राशन कहां से ले जाते हैं? फूड कार्पोरेशन से और फूड़ कार्पोरेशन किसके अंडर है, किसके आधीन है माननीय मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से पलायन करके दोषारोपण राज्य सरकार पर करें तो यह उसी प्रकार से है जैसे कोई भला आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोई पलायनवादी कदम उठाता है और दोषारोपण किसी और पर कर देता है । आज देश में भूख कि स्थिति है । आज चारों तरफ कई प्रदेशों में सूखे की स्थिति है । कहीं बाढ़ की स्थिति है । लोग राशन के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हम राज्यों पर दोषारोपण करें तो मैं सोचता हू कि यह अपने आप में बहुत गम्भीर बात है । चूंकि राज्यों की बात आई है , मैं भी अपने राज्य की बात पर आता हूं। मैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हूं । मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि जितनी शक्कर मांगी गई थी वर्तमान जनसंख्या के आधार पर उतनी शक्कर का कोटा नहीं दिया गया। यह कहा जाता है कि लोग आफ-टेक नहीं हैं। ठीक है मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से है जैसे हिमाचल है। लेकिन इसके पीछे कारण है क्या है? मार्किट प्राइस की क्या स्थिति है? खुले बाजार में जिस दाम पर आप खाधान्न उपलब्ध कराते हैं। उससे बहुत सस्ते दाम में मार्किट में मिलता है। जो उपभोक्ता है,वह क्यों लेंगे और कोई भी सरकार उसको क्यों उठाएगी? इसलिए ऐसी नीति निर्धारित किये जाने की आवश्यक्ता है कि सस्ते दाम पर, सुलभ दामों पर लोगों को, आम आदमी के उपयोग में आने वाली चीजें उपलब्ध कराई जाएं। उनमें किसी भी प्रकार की मिलावट न हो। स्थिति यह है कि मिलावट वाली चीजें मिल रही हैं। और तो औऱ मिलावट वाली चीजों के इलावा फूड़ कार्पोरेशन से जो चीजें उठाई जाती हैं। जिस मात्रा में उठाई जानी चाहिएं, उसमें जब तोल करते हैं तो उस तोल में भी कमी रहती है। मान लीजिये एक क्विंटल का एक बोरा है। जब वह तोला जाता है तो यह 99 किलोग्राम का निकलता है। एक तरफ तो मार्जिनल प्रोफिट राशन की

दुकान वाला देखता है और दूसरी तरफ वस्तु स्थिति यह है कि तोल में भी कमी है। इस दूषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दोषी कौन हैं? इसके लिए राज्य सरकारें दोषी नहीं हो सकती हैं। मैं अपने राज्य कि बात कर रहा हूं। हमारे राज्य में स्थिति यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पांच-छः गांवों में एक राशन की दूकान खोल दी जाए। इसके लिए उन्होंने ग्रांट सरकार से मांगी है। कई बार ज्ञापन दिया है पांच लाख टन खाद्यन्न कि मांग की है। उसकी तरफ अभी तक कोई भी कदम भारत सरकार ने नहीं उठाया है दूसरी तरफ दोषारोपण पर कर रहे हैं। सरकार को ग्रेन बैंक बनाने का प्रोपोजल दिया गया, वर्किंग ग्रुप कांस्टीट्युट कर दिया गया लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पायी है। इसलिए राज्य सरकार ने जो ग्रेन बैंक बनाने का प्रोपोजल दिया था, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। शक्कर का कोटा जितना मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है केरोसिन, आदिवासी लोग आदिवासी इलाकों में उपयोग करते हैं उसका कोटा नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान संख्या के आधार पर अगर हम अन्य राज्यों को देखें तो मध्य प्रदेश कि जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए जितना केरोसिन मिलना चाहिये मिलना चाहियें, वह केरोसिन का कोटा भी नहीं मिल पा रहा है यह स्थिति राज्य में बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो रही है जिन राज्यों में आम आदमी के उपयोग में आने वाली चीजों के लिए जितनी मांग की गई है उन मांगों की पूर्ति किया जाना समय के अन्दर बहुत जरूरी है वरना स्थिति यह होती है कि गोदमों में अनाज अपच स्थिति में पड़ा हुआ है इसकी हालत यह है कि एक तरफ इससे निजात पाने के लिए हमारी तरफ से कोई उपाय नहीं किये गये दूसरी तरफ लोग भूखमरी और कुपोषण का शिकार हों तो यह निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा सकते हैं। यह निश्चित रूप से गम्भीर संकेत देते हैं। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को अपनी खरीद नीति में, अपनी भंड़ारण की नीति में उसकी व्यवस्था में जो सरकार कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें किसी न किसी रूप में सामंजस्य और तालमेल बैठाए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम जो फैसले लें केवल घोषणा करें, आज आश्यकता इस बात की है कि जो फैसलें लें उन पर क्रियान्वयन करें। जैसे कि मैनें बताया सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने में सरकार को हर साल 10 हजार करोड़ रूपये की सबसिडि देनी पड़ती है और एक तरफ इस सबसिडी कि व्यवस्था में सुधार करने की बात करती है और दूसरी तरफ वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की बात करती है। स्थिति यह है कि मान्यवर जैसा मैंनें प्रांरभिक बात में कहा कि हमारे देश में लगभग 30 प्रतिशत लोग गरीबी कि रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं जो अपना जीवन करते हैं और उनमें से 50 प्रतिशत ऐसे हैं जो महंगाई की मार की वजह से नित-प्रतिदिन ऐसी जीवन शैली के शिकार होते हैं जिसका ज्रिक मैंने यहां किया है। स्थिति यह है कि ग्रामीण इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों, में राशन कि दुकानों की कमी है। खुद मंत्री जी ने इस सदन में जब उत्तर दिया था तो इस चीज को स्वीकार किया था कि पहाड़ी, दुर्गम, दुरस्थ और ग्रामीण इलाकों में जितनी राशन की दुकानों की आवश्यकता होनी चाहिए, जितनी संख्या होनी चाहिए वह पर्याप्त संख्या नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर तब हो सकती है जब हम उस संख्या पर ध्यान दें। न केवल हम राशन की दुकानों की संख्या पर ध्यान दें बल्कि उन राशन की दुकानों के जरिए जो उपभोक्ता वस्तुएं वितरित की जाएं वे न केवल शुद्ध रहें, पूरी रहें, तौल में कम न हों बल्कि उसके साथ उनकी जो कीमत हो वह भी सही हो। होता यह है कि राशन की दुकान वाले बिचौलिए और

व्यापारी आपस में मिल जाया करते हैं। जो राशन कार्ड है, वे नकली बन जाया करते हैं। उन नकली राशन कार्डों के जरिए एंट्री हो जाती है और कह दिया जाता है गरीवों के लिए जो योजना बनायी गयी थी उस योजना का लाभ इतने लोगों को पहुंचा। जबकि वह जो हम घोषणा करते हैं, वह जो हम लोगों को सूचना देते हैं, वह राशन कार्ड पर जो एंट्री होती है उसके आधार पर देते हैं। हमारी सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हैं कि राशन कार्ड के जरिए जो लोगों को सामान दिया गया है वह सही और वाजिब लोगों को दिया गया है, उन लोगों को दिया गया है जिनके वह स्कीम बनायी गयी है।

माननीय मंत्री जी, ने यह कहा कि पंचायतों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जाना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायत चुनाव हुए नहीं हैं। यह केंद्र सरकार के जिम्मेदारी होती है कि उन राज्यों में पहल करे कि वहां पंचायत के चुनाव हों। गरीबों को यदि हम केवल राशन की दुकान के भरोसे छोड़ दें केवल हम केंद्र सरकार की सार्वजनिक प्रणाली की तस्वीर मैंने अभी प्रस्तुत की है, स्थिति यह होगी कि उन गरीबों की कमर टूट जाएगी वे गरिब लोग और भुखमरी के शिकार होंगे। इसलिए निश्चित रूप से सरकार द्वारा इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मान्यवर स्थिति यह है कि हमारे देश में विदेशों से जो खाद्यान्न है वह सस्ती कीमत पर आयात हो रहा है हमारे देश में जो खाद्यान्न है वह यहां गोदामों में सड़ रहा है विदेशों से सस्ती कीमत पर आयात हो रहा है। स्थिति यह है कि जो उर्वरकों की बढ़ाई हुई कीमत है, जो सब्सिडी के मामले में इस सरकार ने निर्णय लिया है उससे किसान कि कमर टूटती जा रही है। निश्चित रूप से सब्सिडी के मामले में हम लोगों को विचार करना चाहिए।

मैं केवल एक बात की तरफ सरकार का ध्यान आरकर्षित करना चाहूंगा। शुगर शक्कर जो इम्पोर्ट की गयी- सरकार की क्या नीति रही? केवल सरकार की जो आयात नीति है वह इस बात पर दृष्टिपात करती है अप्रैल 1999 में जो कस्टम ड्यूटी थी वह जीरो थी अप्रैल 1999 के बाद प्रतिशत कस्टम ड्यूटी जो है वह तय कि गयी है जनवरी 1999 के बाद – 28 फरवरी 1999 में जब बजट था तो 25 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी और 10 प्रतिशत सरचार्ज बढ़ाया गया था उसके बाद दिसम्बर 1999 में 40 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी हूई। 9 फरवरी, 2000 में 60 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी हुई और 28 फरवरी 2000 में 100 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी हो गयी। अगर यह कस्टम ड्यूटी शुरू में ही बढ़ा दी जाती है तो जो शक्कर आयात हुई और हमारे देश में जो गन्ना सड़ा हमारे देश में लोगों ने गन्ने की फसल करने वाले किसानों ने जो अपना खेतों में जला दिया वह स्थिति नहीं होती। यहां तक कि हमने पाकिस्तान तक से चीनी बुला ली। उससे जो आमदनी हुई उस आमदनी का उपयोग उनके जो जवान है उसके कोष में किया गया, वे जवान जो हमारे देश के जवानों पर आक्रमण कर रहे थे। आस्ट्रेलिया से हमने लाखों टन गेंहूं बुलाया। यह हमारे देश की सार्वजनिक वितरण की तस्वीर को प्रस्तुत करता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो आयात व्यवस्था है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित वह प्रतिबंधित करती है मान्यवर अभी हाल ही में कंपट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है मैने जब अपनी बात प्रारंभ की थी तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधी है उसका क्या आब्जरवेशन था उससे कि थी। और मै जब कर रहा हूं तो उसके मध्य में इस देश कि सार्वज़निक वितरण प्रणाली से संबंधिक कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर

जनरल का क्या आब्जर्वेशन है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह कहा है कि देश की सार्नजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक खामियां हैं और भष्टाचार चरम सीमा पर है । इस प्रणाली को दी जाने वाली सबसिडी 2.800 करोड़ से बढ़कर 1998-99 में 8.700 करोड़ तक पहुंच गई , लेकिन इससे समाज के उस वर्ग को लाभ नहीं पहुंचा जिस वर्ग को अपेक्षित लाभ पहुंचना चाहिए था । यह कैग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आगे और कहा है कि न केवल इस सार्वजन्क वितरण प्रणाली के जिरए सप्लाई की जाने वाली जिन्सों की क्वालिटी घटिया होती है बल्कि सप्लायी किये गये गेहूं , चावल औऱ चीनी का एक-तिहाई तथा खाद्य तेलों का आधे से अधिक हिस्सा खुले बाजारों में चोरी से बिकता है यह कैग रिपोर्ट का आब्जर्वेशन है । इसी रिपोर्ट का आब्जर्वेशन हैं । इसी रिपोर्ट का आब्जर्वेशन है कि समूचे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग, जो लगभग 30 प्रतिशत है, उनमें से 18 प्रतिशत लोगों के पास राशनकार्ड नहीं हैं और इस कारण वे पीडीएस की सुविधा से वंचित हैं और सरकार के आंकड़ें उन राशन कार्डों को बता कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुहाई देते हैं । यह कैग रिपोर्ट का आब्जर्वेशन है। यह आब्जर्वेशन किन्ही राजनीतिक दल के लोगों का नहीं है, बल्कि यह एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का है और दूसरी तरफ काम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल का है , जिसकी नियुक्ती इस सरकार ने की है । मान्यवर, निश्चित रुप से यह बहुत गंभीर बात है। सरकार के सामने बहुत समस्याएं हैं । उसमें खाद्यान्न से संबंधित जो बात है, वह सब से महत्वपूर्ण बात भंडारण की है । हमको यह देखना होगा । ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु)ः आपका 35 मिनट समय है और उसमें दो स्पीकर हैं। अभी 22 मिनट आप बोल चुके हैं ।

श्री सुरेश पचौरीः ठीक है, थोड़ा सा समय लेकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर एक तरफ किसान पूरी मेहनत करके फसल पैदा करता है और दूसरी तरफ उसको वाजिब दाम नहीं मिलता है, उसके लिए श्रेय किसानों को देना चाहिए, लेकिन उस किसान का अनाज जब इस सरकार के द्वारा बनाई गई फूड़ कार्पोरेशन के गोदामों में पड़ा सड़ जाए, गल जाए, तो निश्चित रूप से उसके लिए किसी न किसी रूप में इस सरकार को दोषी माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है । इसलिए जब यह बात आती है कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए तो निश्चित रुप से सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह केवल जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा ही न करे बल्कि उन जनहितकारी योजनाओं पर अमल भी करे और उसके लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए जाने की जरुरत है और देखे कि जो नीति बने यह जनोपयोगी हो । वह जो नीति बने वह केवल शहरों तक ही सीमित न हो बल्कि उन दूर-दराज के गांवों तक भी सीमित हो, जहां राशन की दुकानें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी हैं। इसके लिए आवश्यक्ता इस बात की है कि उस नेटवर्क पर हमको ध्यान देना पड़ेगा जो नेटवर्क, जो गठजोड़ ,चंद व्यापारियों की, ब्लैकमेलियर्ज की और राशन की दुकान के जरिए अपनी व्यापार करने वालों की बनी हुई हैं, उसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। सरकारी गोदामों से भी लोग, जैसा मैंने बताया की सही मिल पाए, यहां देखे जाने कि जरूरत है जो ब्रॉन्ड का सामान भी सरकारी जो राशन वाली दुकानों हैं, उनको उपलब्ध किया जाना चाहिए, जैसे 12 आइटम आपने सिलैक्ट किए हैं, खाद्य तेल हैं दूथपेस्ट है और इसके अलावा आयल है सिर में लगाने वाला आयल है ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिस ब्रांड का लोग उपयोग करते हैं उस ब्रांड का ही सामान

लोगों के मिल पाए। होता क्या है कि हम घटिया स्तर का सामान उपलब्ध कराते हैं और उसकी स्थिति यह है कि जो लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें है वे फिर लोग खरीद नहीं पाते हैं और जो सार्वज़निक वितरण प्रणाली का जो लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए वह लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए स्थिति यह हो जाती है कि आम आदमी सार्वज़निक वितरण प्रणाली के बारे में कई प्रश्न वाचक चिन्ह लगाने लगता है।

मान्यवर दो-तीन बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस सरकार के रहते जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हालत हूई है, इन्होंने कहा है कि जो बिलों पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको हमने राशन कि मात्रा बढ़ा दी है बात ठीक है लेकिन उस की कीमत क्या हो गयी है वह व्हीट के लिए 4 रूपए 20 पैसे हो गयी है जोकि पहले 2 रूपए 50 पैसे थी और राइस कि कीमत 5 रूपए 85 पैसे हो गयी है जोकि पहले 3 रूपये 50 पैसे थी आप ने कीमत में वृद्धि कर दी और आप कह रहे हैं कि हम गरीबों को 10 किलों के बजाय 20 किलों अनाज उपलब्ध कराएंगे। तो इतनी बढ़ी हुई कीमत पर कौन गरीब लेगा , यह विचार करने वाली बात है ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा कि हमारे देश का फुड सेक्युरिटी सिस्टम चुस्तदुरूस्त हो उस के लिए समय रहते-से-सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है सरकार ऐसे नीतिगत निर्णय ले जिससे कि जवाबदेही उन लोगों पर डाली जा सके जिन पर कि इस व्यवस्था को बेहतर बनाने कि जिम्मेदारी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आम गरीब इंसान को उस के उपयोग में आने वाली वास्तुएं सही दाम पर सही स्थिति में और पूरी मात्रा में मुहैया हो सकें यह सुनिश्चित करने का काम जब यह सरकार करेगी तब हम कह सकते हैं कि यह सरकार अपनी जिम्मेदारी का पालन संजीदगी से कर रही है महोदय, अभी स्थिति यह है कि न केवल यह सरकार पलायनवादी कदम उठा रही है बल्कि एक-दूसरे पर दोषारोपण भी कर रही है । वह दोषारोपण करें, इस से हमें एतराज नहीं है लेकिन एतराज इस बात का है कि जिन गरीबों को अनाज समय पर मुहैया होना चाहिए जिन गरीबों को उन के आम उपयोग में आने वाली चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। उनकी उपलब्धता समय पर कराई जाना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री नोलोत्पल बसु): श्री विक्रम वर्मा।

श्री विक्रम वर्माः माननीय उपसभाध्यक्ष जी, देश में खाद्यान्न वितरण की सार्वजनिक प्रणाली की असफलता और उस के पुनरूर के बारे में जो चर्चा प्रारंभ हुई है और माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं । निश्चित रूप से इस के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़े इस विषय में हम चर्चा में भाग ले रहे हैं निश्चित रूप से इस के माध्यम से करोड़ों के जीवन से जुडे इस विषय पर हम चर्चा कर पाएंगे।

माननीय सदस्यों की चिंता से मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं, लेकिन हम को देखना पड़ेगा कि हम केवल केन्द्र सरकार की आलोचना के लक्ष्य कर के ने चलें क्योंकि उस से कोई फायदा नहीं हो पाएगा महोदय, इस व्यवस्था में दोष उत्पन्न हुए हैं इसे तो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा इस में अनेक अमेक कमियां आ गयी हैं, नीचें के स्तर पर भ्रष्टाचार है इस की चर्चा अभी स्वयं माननीय सदस्य ने की और एक प्रकार से इस योजना की विश्वासनीयता और कहीं-कहीं उपयोगिता के बारे में भी प्रश्न-चिह्न लग गया है । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस की नीति में अफरा-तफरी है लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं है उपसभाध्यक्ष जी यह नीति आज से तो लागू नहीं हुई है बल्कि समय समय पर इस में सुधार में किए गए हैं। इन का कहना है

कि वित्त मंत्री जी अलग विचार रखते हैं माननीय खाद्य मंत्री जी का अलग विचार है जिस कारण इस में कटौतियां हुईं हैं। लेकिन उपसभाध्यक्ष जी आप देखें कि इस में धीरे-धीरे एनुअल फूड़ सब्सिडी में बढ़ोतरी हुई है । Annual food subsidy from Rs.2,450 crores in 1990-91 went up to Rs.9,200 crores in 1999, and to Rs. 13,000 crores in 2001. यानी धीरे-धीरे यह इतनी इंक्रीज हुई है । यदि अफरा-तफरी होती, योजना में कमी होती, योजना में कटौती कर दी गयी होती, योजना बंद कर दी गयी होती तो फिर बताइए कि सब्सिड़ी 2,450 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 13 हजार करोड़ कैसे होती? यह तो इस खाद्यान्न वितरण की सार्वजनिक प्रणाली पर ही खर्च हो रही है। इस से यह बात सिद्ध होती है कि सरकार पूरी दृढ़ता के साथ इस नीति का पालन कर रही है औऱ देस में जिन लगभग 36 करोड़ लोगों को इस मिलना चाहिए, वह बराबर इसका लाभ उठा रहे हैं । अगर उन्हें ठीक से लाभ नहीं मिल पाता है तो नीचे के स्तर पर कमियां होंगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन क़ी बात कही । यह निश्चित रुप से गंभीर बात है। आज देश के अनेक हिस्सों से इस प्रकार की खबर आती है। महोदय, अभी छत्तीसगढ़ में 12-15 आदिवासियों की मौत एक मृत गाय के खाने से हुई। ये कोरबा जाति के आदिवासी हैं जिन्हें बचाने के लिये यहां से पैसा जाता है । महोदय, यह आदिवासियों की इक विलुप्त होती प्रजाति है । लेकिन उन्होंने मृत गाय का मांस खाया, क्योंकि भूख के कारण उनकी यह हालत हो रही थी छत्तीसगढ़ में और उस गाय को एक पागल कुत्ते ने काटा था। इसलिए उसे फूड पाइजनिंग हो गया था और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा या और वे लोग मरे । तो इस प्रकार की खबरें यदि राज्यों से आती हैं तो यह आब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का कोई सैंट्रल गवर्नमेंट के बारे मे नहीं है । यदि यह आब्जर्वेशन है तो यह पूरे सिस्टम पर आब्जर्वेशन है तो हमको देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम में जो वितरण व्यवस्था है, उसकी कमियों के कारण यह स्थिति आती है । यदि अलॉटमेंट में कमी हो , अलॉटमेंट में कटौती की गयी हो, यहा से, केन्द्र से नहीं जा राहा हो ,तो एक अलग बात है । आखिर गोदाम भरे हैं अलाटमेंट हो रही है, अलॉटमेंट नहीं उठाया जाए, वितरण पर्याप्त नहीं हो, उपभोक्ता को नहीं मिल पाए, उसके राशन कार्ड पर कोई दूसरा उठाकर ले जाए, ब्लैक मार्किटिंग हो तो निश्चित रुप से यह निचले लैवल पर सिस्टम का फेल्योर है । नीचे के लैवल के इस सिस्टम फेल्योर को देखना पड़ेगा , उसे ठीक करना पड़ेगा ।

माननीय श्री पचौरी जी का कहना था कि मध्य प्रदेश में कैरोसीन का जितना कोटा है, वह उसको उसके हिसाब से नहीं मिलता है । आप यदि फिगर्स देखें तो आप पाएंगे कि जो अलॉटिड है, उतना भी नहीं उठाया मध्य प्रदेश की सरकार ने। मैं लोक सभा के एक प्रश्न के उत्तर को रेफर करता हूं कि जितना अलॉटमेंट किया गया, वह नहींहो पाया। आपका कहना था कि खाद्यान्न आयात हो रहा है । चीनी के बारे में आपने उदाहरण दिया कि कस्टम डयूटी 1999 में लगाई गई, यदि पहले लगा दी जाती तो चीनी का आयात नहीं होता। पहले किसने रोका था? डब्ल्यू.टी.ओ. में कौन गया? अब आयात को आप रोक नहीं सकते डब्लयू.टी.ओ. के कारण आप डयूटीज लगा सके हैं. कस्टम डयूटीज लगा सके हैं और बाकी डयूटीज लग सकते हैं। जब इस सरकार के माध्यम में यह बात आई तो हमने उसकी कस्टम डयूटी बढ़ाना शुरु किया । आपने स्वयं अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया है कि सन् 1999 से 2001 तक तीन बार चीनी और बाकी के खाद्यान्न पर और बाहर से आयातित ऐडिबल आयल पर सरकार ने बराबर इस प्रकार की

आयात डयूटियां लगाई हैं और इस तरह से आयात को रोकने की कोशिश की है ताकि हमारे यहां के किसानों को अच्छा भाव मिल सके ।

फिर आपका यह कहना था कि फेयर प्राइस की दुकानों से पहले कम कीमत पर खाद्यान्न दिया जाता था, जो कि अब महंगा हो गया है । यह बात सही है कि कीमतें बढ़ी हैं लेकिन आपने इसका एक पक्ष तो बता दिया कि दुकानों पर अब उपभोक्ताओं को अनाज मंहगा मिल रहा है लेकिन किसान से खरीदी के बारे में आपने नहीं बोला। आज से तीन साल पहले किसान को क्या भाव मिलता था? मैं खुद एक किसान हूं , काश्तकार हूं, मुझे मालूम है कि किस मूल्य पर हमको गेहूं बेचना पड़ता था। आज 650, 670 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन खरीदी मूल्य है। यही कारण है कि मंडियों में व्यापारी खरीदने के लिए खड़ा रहता था लेकिन गेहूं नहीं मिल पाता था और किसान सरकारी खरीदी केन्द्र को सारे का सारा गेहूं बेचने के लिये लाते थे और सबका बराबर दबाव होता था कि हमारा गेहूं खरीदा जाए। आज खरीदी मूल्य बढ़ गया है। हमको, 300,350 से बढ़ाते-बढ़ाते आज 650 पर ले आए हैं । यह 300रुपये प्रति क्विंटल की जो बढ़ोतरी हुई है तो वितरण में आखिर कहीं न कहीं, रुपया-दो रुपया कुछ तो इन्क्रीज होगा औऱ इन सारी परिस्थितियों को हमको ध्यान मे रखना होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कल मंत्री जी ने एफ .सी.आई.पर बोलते हुए कहा था कि केन्द्र सरकार की जो जिम्मेदारी , उस जिम्मेदारी से केन्द्र सरकार पीछे नहीं हट रही है । केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है किसानों से अनाज की खरीदी ,अन्न का संग्रहण करना, भंड़ारण में उसको सुरक्षित रखना, उसका परिवहन करना और खाधान्न के कोटे का राज्यों को उनकी आवश्यक्तानुसार आबंटन करना । माननीय सदस्य ने अपनी सारी डिस्कशन में यह बात नहीं बताई कि केन्द्र इन चारों जिम्मेदारियों से कहीं पीछे हटा हो । जहां तक खरीदने का सवाल है , जहां जहां भी ,जिन राज्यों ने मांगा की, चाहे वह गेहूं हो या चावल हो, बराबर खरीदा गया है । इसी प्रकार से जहां तक वितरण का प्रश्न है, कल मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि हमने बहुत खरीदा है, उसके कारण हमारे पास आज 616 लाख टन गेहूं उपलब्ध है । वेयर हाउसिंग या कारपोरेशन इतने नहीं हैं, इतने गोदाम नहीं हैं, इसलिए हम उसे खुले में लेकिन सुरक्षित तरीके से ऱखते हैं , फिर भी कुछ परसैंटेज उसकी खराब हो जाती है औऱ यह कोई अब खराब नहीं हो रही है, बरसों से इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है । इसलिए इन परिस्थितियों को, वास्तविकताओं को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन यह मानना होगा कि केन्द्र ने अपनी जिम्मेदारी का वहन कीया है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रश्न है यह कम मूल्य पर गरीब व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की वितरण प्रणाली है यह एक व्यवस्था है ताकि जो गरीब अफोर्ड कर सकें, वे उस कीमत पर उसको ले सकें लेकिन इस बात को भी हमें समझना होगा कि पूरी तरह से किसी वर्ग की या सभी लोगों कि संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति इसके माध्यम से नहीं हो सकती है आखिर इसमें एक निश्चित मात्रा में अलॉटमेंट किया जाता है। पहले एक पहले एक महीने में एक परिवार के लिए 10- किलो अनाज दिया जाता है था अब धीरे धीरे माननीय मंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 25 किलों कर दिया है। 20 किलो किया, फिर 25 किलो किया। इस प्रकार यह जो टार्गेटड पी डी एस स्कीम लागू की गयी है इसमें जहां पहले फेयर प्राइस शाप्स के जरिए 10 किलो अनाज प्रति माह दिया जाता था, इसको 1 अप्रैल, 2000 से 20 किलो प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया और अब 12 जुलाई 2001 से इसे 25 किलों प्रति परिवार माह कर दिया है। जैसा कि मंत्री जी

जी ने बताया 4 रूपए 17 पैसे प्रति किलो गेहूं और 5 रूपए 30 पैसे प्रति किलों चावल का सब्सिडाइज्ड प्राईस निर्धारित किया गया है । इस प्रकार इस योजना में 36 करोड़ लोग कवर होते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का भी हमें ध्यान रखना है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंत्योदय योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर 2000 को की थी उसके तहत 2 रूपए किलो के हिसाब से एक परिवार को 25 किलो गेहूं दिया जाएगा । इससे 2,3 या 4 लोगों के परिवार के लिए इतनी सहायता हो जाती है कि मात्र 50 रूपए में वे कम से कम अपनी दो तिहाई आवश्कताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन यदि इसका भी इंप्लीमेंटेशन नीचे के लेवल पर राज्य सरकारें नहीं करती है तो उसका दोष आप केन्द्रीय सरकार को कैसे दे सकते है उसके लिए माननीय खाद्य मंत्री कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? इसलिए नीचे के स्तर पर इसका इंप्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है औऱ इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है । जब हम नेच के लेवल पर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तब जाकर यह काम हो पाएगा । यह एक प्रकार से ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। पी.डी.एस. सिस्टम किसी एक गवर्नमेंट का केन्द्र का या अकेले किसी राज्य का विषय नहीं हो सकता। यदि इस सिस्टम को ठीक करना है यदि इसमें सुधार करना है जिससे आम जनता को राहत मिल पाए,तो इसे मिलकर ठीक करना होगा यह ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है और इस पर हमें विचार करना पड़ेगा । हमें देखना पड़ेगा कि जिम्मेदारी क्या है राज्यों की जिम्मेदारी क्या हैं. क्या है केन्द्र अपने उत्तरदायित्व का वहन कर पाया है या नहीं राज्य अपने उत्तरदयित्व का वहन कर पा रहे हैं या नहीं इनमें कहां कमिया है और उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है , इस सब बातों की ओर हमें ध्यान देना होगा ताकि जहां मुख्यमंत्रियों या खाद्य मंत्रियों की बैठक हो तब उसमें इन कमियों की ओर उनका ध्यान दिलाया जाए, तब जाकर हम इसे ठीक कर सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कल यह बात आई थी कि पिछले साल 303 लाख टन अनाज का एलाटमेंट मंत्री जी ने किया लेकिन राज्यों ने केवल 130 लाख टन अनाज उठाया है । इस बार 4 अगस्त को लोकसभा में एक क्वेश्चिन आया जिसमें एक माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि Wether a number of States have failed to lift a sizable quanity of foodgrains allotted under the Public Distribution System. उसके जवाब में मंत्री जी ने राज्य सरकारों से डिटेल्स मांगी । पचौरी जी मध्य प्रदेश के आंकड़े आप देखिए आप चीनी की बात कर रहे थे ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसू): आप चेयर को एड्रैस कीजिए , पचौरी जी को नहीं ।

श्री विक्रम वर्मा : अभी माननीय सदस्य यह बात कह रहे थे इसलिए मैं उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । मैं तो आपको हीं संबोधित कर रहा हूं। यदि आप केरोसिन का एलाटमेंट देखें केवल एक साल का नहीं , ईयर-वाइज़ देख लीजिए अलग-अलग स्टेट्स का देख लीजिए , फूडग्रेन्स राईस , व्हीट , चीनी आदि का एलाटमेंट देख लीजिए , इन चीजों के लिए जो भी एलाटमेंट हुई है, वह आप नहीं उठा पा रहे हैं। केवल एक स्टेट नहीं बहुत सी स्टेट्स की यही हालत है । जो एलाटमेंट आपको किया गया है आप उसको तो उठा नहीं रहे हैं , फिर आप दोषारोपण कर रहे हैं कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है । अब हमारे यहां मध्य प्रदेश के अंदर यह जो सिस्टम हैं वहां प्राईवेट शाप्स नहीं है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय. मैं आपकी अनुमति

5.00 PM.

से नाम लूंगा बैरागी जी खाद्य मंत्री रहे हैं , उनको मालूम है । मध्य प्रदेश के अंदर वर्षों से कोआपरटिब सोसाइटीज के माध्यम से डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम है । अब आप कह रहे थे केन्द्र की सरकार से 5-6 गांव के बीच में एक दुकान एलौटमेंट करने के लिए ग्रांट मांगिए । कोई आवश्यकता नहीं हैं हमारे यहां कोआपरेटिव सोसाइटी पिछले अनेक वर्षों से यह काम कर रही है। लेकिन प्रोब्लम क्या है? वही जो आपने बताया जिसकी तरफ आपने इंगित किया मैं इस बात से सहमत हूं कि यह जिन उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए जिनकी आवश्यकता है , जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उसको नहीं पहुंच पाता है और किसी न किसी लेविल पर कई गड़बड़ियां होती है औऱ वह माल बाहर बिक जाता है जिसके कारण इस पूरे सिस्टम के फेल्योर की हम बात कर रहे हैं।

[**उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी**) पीठासीन हुए।]

हम मानते हैं कि इसमें कभी आई है हम मानते हैं निश्चित रूप से इसमें जो सफलता का आकलन होना चाहिए उस रूप में नहीं है और इस असफलता को दूर करने के लिए कही नीचे के स्तर पर कमी है? इसमें जो-जो कमियां होंगी उसको दूर करने की कोशिश करना पडेगी। अब हमारे यहां कोअपरेटिव सोसाइटी के पास अपने गोडाउन नहीं है। मध्य प्रदेश छत्तीस गढ़ और उड़ीसा ऐसे जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। आप जरा वहां चले जाएं। वहां चार महीने बरसात के कारण एक तरह से गांव डिस-कनेक्ट हो जाता है और उनको चार-चार महीने राशन नहीं मिल सकता है इसलिए बरसात से पहले उनके एलोटमेंट के हिसाब से उनका माल वहां सोसाइटी में पहुंचाना आवश्यक हो जाता है । लेकिन वहां रखने की जगह नहीं होने से या तो वह माल नहीं ले जाते,यदि वहां माल ले गए तो गीला हो जाता है और अगर किराए का मकान है वह टूट-फूट गया है तो इसके कारण से सड़ता है, खराब होता है और फिर इस कारण से खाद्यान्न खराब होने का दोषारोपण हो जाता है ।जब वहां पर उपभोक्ता खराब माल नहीं लेता है। तो वह कह देते हैं कि हमको तो एलाटमेंट ही ऐसा हुआ था । यह केवल यहां के एलाटमेंट के कारण नहीं है बल्कि वहां के के रखरखाव के कारण भी है जिस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हम केवल वेयरहाऊसिंग गोडाउन की ही बात न करें । वितरण दुकानों पर भी निश्चित रूप से उसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज वह नहीं है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इसके कारण खराब होता है बरसात में भीगता है, इधर-उधर पड़ा रहता है और वहां धूल मिट्टी के कारण यह सब होता है । इन सबके कारण भी यह खराबी आती है। हमने कभी नीचे के स्तर पर देखने की कोशिश नहीं की । माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एक और कठिनाई आती है। हमारे यहां पर बाजार या हाट लगते हैं। हफ्ते में एक दिन जब लेबर को मजदूरी मिलती है तब वह खरीदने को जाता है। हमारे यहां क्या है कि उनको 25 किलो मिलता है और दुकान महीने में एक दिन या दो दिन खुलेगी। अब एक-दो दिन में उससे कहें कि अपना 25 किलो गेहूं उठाइए, अपने हिस्से का चावल भी उठाइए, अपने हिस्से का केरोसीन भी उठाइए, अपने हिस्से की शक्कर भी उठाइए तो जो गरीब जो पावरटी लाईन के नीचे रहता है उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वह एक साथ उठा सके। अगर वह एक बार में नहीं उठा पाए तो वह दुकानदार कह देगा कि-तुम्हारा सामान लेप्स हो गया महीना खत्म हो गया और वह दुकानदार महीने के आखिर में चार दिन दुकान खोलेंगे और फिर कह देंगें कि महीने समाप्त हो गया, लेप्स हो गया और फिर वह ब्लेक मार्केट में बिकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सप्ताह में एक बार

डिस्ट्रिब्यूशन जरूर होना चाहिए। अगर उसका 25 किलो है तो वह चार बार में पांच बार में पांच पांच किलों कर खरीद सके। वह जब हफ्ते भर की मजदूरी इकट्ठी करके लाए और उसके पास जब राशन खरीदने के लिए पैसा आ जाए तो आप उसके राशन कार्ड पर चढ़ा दीजिए । इससे यह होगा कि दुकाने बराबर खुलेंगी, कम से कम सप्ताह में एक दिन आवश्यक रूप से उनको खोलनी पड़ेगी और इस दृष्टि से उनको विचार करना पड़ेगा।इसके बारे में हाई लेविल कमेंटी –जो अभिजीत सेन कमेटी है उसने अपनी रिकमंडेशंस की है टेंथ फाइव ईयर प्लान ड्राफ्ट में भी और कुछ बातें आई हैं जिसमें सात-आठ सुधार क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात आई है माननीय मंत्री जी, ने कल भी पंचायत राज के बारे में कहा था जहां पंचायतें सक्षम हैं वहां पंचायतों के माध्यम से भी वितरण किया जा सकता है इस बारे में में खाद्यान्न का दुकानों पर डिस्प्ले भी किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्राइवेट शाप्स को देते थे तब एसेंसियल कमोडिटीज ऐक्ट के अंतर्गत लाइसेंस दिया जाता था। एसिंसियल कमोडिटीज एक्ट हमारे यहां सोसाइटी पर लागू नहीं है और सके कारण यह चोरी होती है, यह सब होता है और कोई केस नहीं बन पाता। इसलिए असेंशियल कमोडीटीज एक्ट के सैक्शन तीन के अंतर्गत जब हम किसी को लाइसेंस देंगे तो लाइसेंस के साथ में अगर टर्म्स एंड कंडशन लगायेंगे तो फिर एक प्रकार से आब्लीगेशन होगा, दबाव होगा और उसको लगेगा कि उसके अंतर्गत आने वाली सभी चीजों की पूर्ति करनी पड़ेगी। कितना राशन आया, किस तारीख को आया, बिकता कितना है, डिसप्ल करना पड़ेगी । कभी भी चैकिंग हो सकती है, केस बन सकता है। जब तक हम बाकी की इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक यह ठीक नहीं होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, निश्चित रुप से इस सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। आखिर 13-13 हजार करोड़ रुपये की सबसिडी सरकार दे रही है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि राज्य सरकारें भी अपने पास से खर्च करती है या जो सोसाइटी हैं वे घाटा उठाती हं, वे कोई प्राफिट नहीं ले पाती है, उनको भी कहीं कहीं राज्य सरकार सबसिडाइज्ड करती हैं, कहीं कहीं उसकी पूर्ती करती हैं। आखिर कई कई हजार करोड़ रुपये की सबसिडी केन्द्र और राज्यों के माध्यम से देने के बाद भी यदि हम 36 करोड़ उपभोक्ता को जिनके लिए यह योजना लागू की गई है, हम समुचित रुप से वितरण नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर वितरण प्रणाली में कहीं न कहीं कमियां है। राज्य और केन्द्र समान रुप से उत्तरदायी होकर उसकी पूर्ति करेंगे तभी हम इस योजना को कार्यान्वित कर सकेंगे। इन्हीं सुझावों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. This is a very serious matter concerning the millions of people in our country. India's PDS has emerged as the largest food security network in the world, covering 177.8 million households, nearly 1,000 million people, 195.9 million ration cards and .46 million ration shops. Now, throughout the country, all, except this government, are worried about the present situation. Not only this; they are also worried about the future of this system. Starvation has become the order of the day. It has been reported from Rajasthan; it has been reported from Kerala; and it has been

reported from Orissa. It was reported from Maharashtra that about 350 tribal boys died because of malnutrition, in Nandurbar district. All over the world, the problem of malnutrition is coming down, whereas in India, it is otherwise. It is painful to note that when there is a stock of 600 lakh tonnes of foodgrains in the FCI godowns, mpre than half the children in the age group of 1-5 years, in rural areas, are under-nourished, with girl children suffering a more severe malnutrition. There are about 208 million undernourished people in India.

My hon. friend from the Congress Party mentioned that even the highest court had to intervene, seeing the seriousness of this problem. Hon. Vice-Chairman, Sir, it is a man-made calamity. The Government is saying that this is a problem of plenty. Sir, this is not a problem of plenty; rather, it is a problem of empty. It is a problem of empty pockets. The poor people in this country have no purchasing power. It is reflected in the poor off-take. How has this situation emerged? How has it come about? It has come about because of the policies of the Government. Because of the policies that the Government is following, there is a total failure in the agrarian situation in our country. There is a great fall in the prices of agrarian products; whether it is rice, whether it is wheat, whether it is coconut; whether it is coffee; whether it is mustard or any other agricultural product. There is a sharp fall in the prices of agricultural products. Naturally, there will be no work for the poor people in the villages. As a result, they are not in a position to go to the fair price shops. They are not able to purchase the things. This is one problem. Then, Mr. Vice-Chairman, Sir, what happened just before the Budget of 2000-2001 was presented. There was a campaign against the food subsidy. The Government said that the amount of Rs. 9500 crores, as food subsidy, is an exorbitant one. What is the reality? It is less than 2 per cent of the GDP. It is one of the lowest among the developing nations all over the world. Even in Sri Lanka, it is 3.5 per cent; in Egypt, it is 4 per cent; ours is less than 2 per cent, but it was projected as one of the highest.

They decided to cut short the subsidy for the PDS. Actually, the aim was to deliberately wind up the PDS to please the advanced countries of the world, to please the IMF, to please the World Bank, and to please the W.T.O. An attempt was there to phase out the assets of the system, and, because of that, the Government decided to cut down the subsidy. They decided to enhance the price. Now, what is the situation? This stockpile is not as a result of plenty, which the ruling party is always joyfully

claiming, but it is as a result of a massive 87 per cent increase in the price of wheat and a 68 per cent increase in the price of rice, than what was announced at the time of the Budget-2000. Naturally, it was reflected in the off-take. Now, the current situation is that the off-take has fallen like anything. Immediately after this situation, most of the States were reluctant to lift foodgrains from the FCI. Last year, the BPL wheat-was not lifted by Andhra Pradesh, Assam, Kerala, Manipur, Mizoram, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Chandigarh, etc. What is the situation? There are no takers. It is because the price of wheat under the TPDS was kept above the prevailing market price. Who did it? The Government did it. It reflects a myopic attitude on the part of the Central Government. What have you done? You have enhanced the prices. Otherwise, how is it possible that the off-take came down to this level?' So, this is a man-made calamity. This is a calamity created by the Central Government. This is an offence committed by the Central Government against the most down-trodden section of our society.

Sir, secondly, there is this division -- A.P.L. and B.P.L. people. Who are those APL people? Are they that much rich? Are they big people? Who will go to the ration shop? Sir, only those people who belong to the poor income bracket will go to the ration shop. No doubt; the rich people won't go to the ration shops. You have divided them into A.P.L. and B.P.L. What have you done? You offered APL people foodgrains at a price which was higher than the market price. Mr. Minister, this price is higher than the open market price for the A.P.L. people. Are they mad people? Why will they go to the fair price shops? The Minister is thinking like that. For the A.P.L. people, the price tag is higher than the open market. Naturally, there was no purchase by the A.P.L. people. After that, what was the result? Sir, there was a good system of PDS in Kerala. It was affected. Almost a 100 per cent off-take was there. K was affected by this attitude of the Central Government. What happened in Orissa, a very backward State? In Orissa, the allocation of wheat is about 50,000 tonnes. They did not-take the quota, even for the BPL. They take only one-third of the rice. Why? It is because you have created a very difficult problem for the poor people. Regarding the targeted groups of the B.P.L. *...(Time-bell ring/)...* •• this is a very serious issue. Even within the BPL, they have again divided the people.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): जो प्वाइंट कवर हो गये हैं उनको रिपीट मत करिए।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Then, the Government announced the 'Antyodaya Yojana'. There is poor man. Is there a division between the people who are starving? Would there be a division between these people? They have divided those people who are suffering from starvation. I am not opposing 'Antyodaya'. But it should be extended to all people. The rates under Antodaya should be extended to all those people who are below the poverty line. It should not be limited to only one crore people. It should be given to all those who are below the poverty line, to all agricultural workers and to all those who belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Now, I come to the question of procurement prices. Every year, their price is increased. Who is benefiting out of it? Last year, Rs.950 crores worth of food subsidy was announced. The actual expenditure was a little over Rs. 13,000 crores. Who benefited out of it. It was only the rich and none else. You did not give benefit to the poor people. Every year you increase the procurement price and the burden shifts on to the poor people. In short, 44 per cent of the expenditure incurred subsidises the rich; 40 per cent of the expenditure is spent on the FCI. Only 16 per cent of the expenditure is spent on the poor. Everyday you are spending Rs. 18 crores for keeping the extra wheat in the FCI godowns. What was the stock in the FCI godowns last year and how much did you procure? Three years back, the stock in the FCI godowns was 280 lakh tonnes. This year you had 220 lakh tonnes and the current season another 200 lakhs procured. But there was no off-take. Why are you adopting such an irresponsible attitude? The NDA Government led by the BJP is systematically trying to destroy the whole system. I demand that they should come forward with a concrete proposal to help the poor. Actually, by your actions, you are cheating the poor and keeping the whole system in a bad shape. If you are serious, revamp the whole system and come forward with a food-for-work programme to help the poor. Allot at least one lakh tonnes of foodgrains for this programme. If you do that, at least five lakh people will benefit by that. So that you have to introduce a massive programme.

You have been procuring lower quality foodgrains. Last year, when we raised the issue, the hon. Minister assured us that he would not procure the low quality foodgrains. But, because of your political compulsions, you, again, this year, procured the lower quality foodgrains. The net result of it is that when you exported rice to Indonesia, it was rejected; when you

exported wheat to Iraq, it was rejected. Iran also rejected your wheat export. They were rejected because of their poor quality.

Sir, the Government has decided to export wheat with a price tag of Rs.4,300 per tonne. I would like to know whether he is ready to give wheat to, the poor in India at this price. When you are helping foreigners by exporting your wheat at this price, why can't you come to the aid of the poor in India? *(Time-bell)* Kindly be sympathetic to the poor in India also. Kindly come with some concrete proposals so that the poor can get foodgrains at a cheaper rate through the PDS.

Sir, there should be a programme to help the people of the north eastern part and of Kerala people, where we have food deficit. At this hour of crisis, the Central Government want to pass the burden with the State Government. The States do not have adequate storage capacity. West Bengal needs 4 million tonnes of foodgrains, whereas it has a storage capacity of only 1.8 million tonnes. Sir, Tamil Nadu spends subsidy worth Rs.400 crores, whHe Kerala spends Rs.200 crores of subsidy, A.P. spends nearly 500 crores.

Sometimes, our State is giving subsidy on par with the Centre; and, sometimes, it is more than the Centre. Now, you are telling that the entire burden should be borne by the States. So, this is an attempt to abolish the system. You have to come with a concrete proposal. The issue price for the APL people should be reduced. The issue price for the BPL people should be reduced. The Antyodaya Scheme should be extended to the people belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBC. You should come with a concrete proposal.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please conclude now.

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: One last point I want to mention. Today is "Vinayaka Chaturthi" day. He is a worshipper of Lord Ganesha. But I came to know that they are going to worship the Fish God, Matsya Avataram, by dumping all the surplus foodgrains into the sea. I do not know whether the Minister is worshipping the Koorma Avataram. He is very slow in dealing with this problem. The vehicle of Lord Ganesha is rat. We will be forced to worship the rats in the FCI godowns. They are very much benefited because of the policies of the Central Government. My humble request is, something fruitful should be done. So far, unfortunately, this Minister has not done anything for the people. You can see, a mess has

been created. He should own moral responsibility for creating such a situation. Nobody is dealing with the problem. The Agriculture Minister announces the procurement policy. This Minister discusses about the PDS. The Finance Minister is discussing about some other policy matters. But the people are not getting anything. So, something should be concretised today. I hope the Minister will come with some concrete proposal; otherwise, the court will direct him to do something. So, you have to announce something for the people from this House, not from a court. I hope the Minister will do something for the poor people of this country. Thank you-

MESSAGES FROM LOK SABHA

The Joint Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from Lok Sabha, signed by Secretary-General of Lok Sabha:

(1)

I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 22nd August, 2001, has adopted the following motion regarding extension of time for the presentation of the report of the Joint Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto:-

MOTION

"That this House do extend upto the end of the Winter Session the time for presentation of the Report of the Joint Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto."

(2)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 22nd August, 2001, has adopted the following motion in regard to filling up of" the casual vacancy in the Joint Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto:-

MOTION

"That this House do appoint Shri Raashid Alvi to the Joint Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto in the vacancy caused by the resignation of Dr. Baliram."